भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या –1153
दिनांक 06.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीयों का निर्वासन

1153. श्री अनिल यशवंत देसाईः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कनाडा और अन्य देशों में बड़ी संख्या में भारतीयों को निर्वासन का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उनमें से कई छात्र हैं और भारत में उनके आप्रवासन एजेंटों द्वारा धोखाधड़ी के शिकार हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में धोखाधड़ी के लिए इन एजेंटों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं और कितनी वास्तविक वसूली की गई है या ऐसे धोखाधड़ी करने वालों को दिए गए कारावास की अवधि कितनी है; और
(घ) सरकार द्वारा कूटरचित महाविद्यालय प्रवेश प्रस्ताव पत्रों से छात्रों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क और ख) भारत सरकार को ज्ञात है कि कनाडा और अमेरिका तथा खाड़ी देशों जैसे अन्य देशों में कुछ भारतीय नागरिकों, जिनमें छात्र भी शामिल हैं, को वीजा नियमों के कथित उल्लंघन, मेजबान देशों के नियमों का पालन न करने और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए फर्जी पत्र जमा करने के आरोप में निर्वासन की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।

कई देशों में, भारतीय छात्रों को मुख्य रूप से उनके वीजा की शर्तों का उल्लंघन करने, जैसे कि छात्र वीजा नियमों के तहत गैर-अनुमत रोजगार करने, अवैध व्यावसायिक गतिविधियों, या मेजबान देश के आंतरिक नियमों के उल्लंघन के लिए निर्वासन की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। छात्रों को अध्ययनरत देश में अपेक्षित बैंक बैलेंस न बनाए रखने, विश्वविद्यालय शुल्क का भुगतान न करने, कक्षा में अपर्याप्त उपस्थिति होने आदि जैसी निर्धारित वित्तीय शर्तों को पूरा करने में विफल होने के लिए भी निर्वासन का सामना करना पड़ा है। कई मामलों में, छात्रों द्वारा अपूर्ण या अनुचित प्रवेश दस्तावेज ले जाने, नामांकन के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करने में विफल होने, पंजीकृत शैक्षणिक कार्यक्रम या विश्वविद्यालय से पूरी तरह से वापसी, अध्ययनरत देश में प्रवेश के समय अपने चुने हुए अध्ययन के क्षेत्र के बारे में बुनियादी सवालों का जवाब देने में असमर्थता आदि के कारण निर्वासन हुआ है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान विदेशी आव्रजन प्राधिकारियों द्वारा निर्वासित या प्रवेश से वंचित भारतीय छात्रों की देशवार संख्या अनुबंध I में दी गई है।

(ग और घ) सरकार विदेश में छात्रों सहित भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और बेहतरी को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। जब भी अवैध प्रवासन सिंडिकेट और वीजा धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्टें तथा विभिन्न माध्यमों से झूठे भर्ती प्रस्तावों के माध्यम से भारतीय युवाओं को लुभाने वाले अवैध एजेंटों/संदिग्ध फर्मों के विरुद्ध शिकायतें इस मंत्रालय को प्राप्त होती हैं, तो ऐसे मामलों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और अन्य लागू कानूनों के संगत कानूनी प्रावधानों के तहत जांच और अभियोजन के लिए राज्य पुलिस को भेजा जाता है, जिसमें कुछ राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित कानून भी शामिल हैं।

"आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025" अधिनियमित किया गया है, जिसमें धोखाधड़ी में शामिल एजेंटों और व्यक्तियों को दंडित करने के लिए सख्त प्रावधान हैं, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के साथ छात्रों को विदेश भेजने वाले भी शामिल हैं। यह भर्तीकर्ताओं और एजेंटों दोनों को लक्षित करते हुए जाली, धोखाधड़ी या नकली यात्रा दस्तावेज या वीजा का उपयोग / आपूर्ति करने के लिए 2-7 साल की कैद और ₹1-10 लाख का जुर्माना लगाता है।

भारत सरकार विदेशी शैक्षणिक संस्थानों से जाली प्रवेश पत्र के शिकार होने से छात्रों की रक्षा के लिए कई सक्रिय कदम भी उठा रही है। विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों का डाटाबेस तैयार करने के लिए **मदद** पोर्टल विकसित किया गया है। यह भारतीय छात्रों को स्वेच्छा से पंजीकरण करने में सक्षम बनाता है जिससे सरकार को आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ट्रैक करने और सहायता करने में मदद मिलती है। सरकार ने भारतीय नागरिकों को धोखाधड़ी वाले नौकरी प्रस्तावों, अनधिकृत भर्ती एजेंटों, फर्जी विदेशी विश्वविद्यालयों और धोखाधड़ी वाले शैक्षिक एजेंटों के बारे में चेतावनी देते हुए परामर्शी भी जारी की हैं, और इसके अलावा संबंधित देशों में भारतीय मिशनों/केन्द्रों के माध्यम से रोजगार संबंधी प्रमाण-पत्रों को सत्यापित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत सरकार ने ई-माइग्रेट प्लैटफ़ार्म को भी मजबूत किया है, जो भर्ती एजेंटों, विदेशी नियोक्ताओं और प्रवासियों को एक एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में लाता है। साइबर क्षेत्र में, राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ मिलकर अवैध भर्ती एजेंटों के खिलाफ भी सरकार द्वारा कार्रवाई की जाती है। पूरे भारत से अवैध भर्ती एजेंटों के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के अनुरोध नियमित रूप से संबंधित प्राधिकारियों के साथ साझा किए गए हैं।

यह देखते हुए कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारें मुख्य रूप से मानव तस्करी और अवैध प्रवासन से संबंधित अपराधों की रोकथाम, पहचान, जांच और अभियोजन के लिए जिम्मेदार हैं, केंद्र सरकार भारत भर में 16 उत्प्रवासी संरक्षक कार्यालयों (पीओई) के समन्वय में परामर्शी, जन जागरूकता और सूचना के आदान-प्रदान सहित उनकी पहलों के साथ निकटता से सहयोग करती है। कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में संयुक्त छापे मारे हैं और अवैध प्रवासन में शामिल अवैध एजेंटों और नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, जिसमें एफआईआर दर्ज करना भी शामिल है। एनआईए सहित केंद्रीय एजेंसियों ने मानव तस्करी से संबंधित मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने के उद्देश्य से कई व्यक्तियों की पहचान की है, जो एक सतत प्रक्रिया है।

<u>अनुबंध – I</u>

विदेशी आव्रजन प्राधिकारियों द्वारा निर्वासित किए गए या प्रवेश से वंचित किए गए भारतीय छात्रों की देश-वार संख्या (2021-25)

क्र.सं.	देश का नाम	निर्वासित किए गए भारतीय छात्रों की संख्या	भारतीय छात्रों की संख्या जिन्हें प्रवेश से वंचित किया गया
1.	ऑस्ट्रेलिया	114	0
2.	चीन	4	0
3.	मिस्र	2	0
4.	फिनलैंड	5	0
5.	किर्गिस्तान	0	11
6.	रूस	82	0

7.	ऑस्ट्रिया	**1**	**0**
8.	जॉर्जिया	**17**	**0**
9.	यूक्रेन	**13**	**0**
10.	यूनाइटेड किंगडम	**170**	**0**
11.	संयुक्त राज्य अमेरिका	**45**	**62**

*****